''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2005—श्रावण 7, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से. (1978) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटाने के पश्चात् अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री टी. राधाकृष्णन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आलोक शुक्ला, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

3. श्री टी. राधाकृष्णन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के अंतर्गत राज्य शासन, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री आर. पी. जैन, भा.प्र.से. (सीजी : 1990), कलेक्टर, धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री शान्तनु, भा.प्र.से. (एमटी :1997) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, संचालक, पर्यटन एवं उप सचिव, पर्यटन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, धमतरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. डॉ. राकेश चतुर्वेदी (भा व.से.) वन संरक्षक, रायपुर की सेवायें वन विभाग से लेते हुए पर्यटन विभाग को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है. साथ ही संचालक, पर्यटन एवं विशेष सचिव, पर्यटन विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2005

क्रमांक ई-7/44/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1-6-2005 द्वारा श्री विकास शील, भा.प्र.से., कलेक्टर, बिलासपुर को दिनांक 6-6-2005 से 21-6-2005 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री शील, भा.प्र.से. को दिनांक 22-6-2005 से 24-6-2005 (03 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2005

क्रमांक ई-7/04/2005/1/2.—श्री अम्बालगन पी., भा.प्र.से., सहायक कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को दिनांक 16-6-2005 से 17-6-2005 तक (2 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18 एवं 19 जून, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अम्बालगन पी., भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जांजगीर-चांपा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अम्बालगन पी., भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अम्बालगन पी.द्व भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 1-28/2004/(6)52.—राज्य शासन, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार ग्रामोद्योग विभाग के निम्नलिखित सहायक संचालक (रेशम) को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, स्थानापन्न रूप से उप संचालक (रेशम) के पद पर वेतनमान रुपये 10000-325-15200 में पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख कॉलम (4) में दर्शाये गये स्थान में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	पदोन्नति उपरान्त नवीन पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री सी. एस. नोन्हारे, सहायक संचालक (रेशम) (अनुसूचित जाति).	कार्यालय उप संचालक (रेशम) जिला रेशम कार्यालय, रायगढ़.	उप संचालक (रेशम) कार्यालय -जिला रेशम कार्यालय. अंबिकापुर (सरगुजा).
2.	श्री श्रीराम मीणा, सहायक संचालक (रेशम) (अनुसूचित जनजाति).	कार्यालय उप संचालक (रेशम) जिला रेशम कार्यालय, अंबिकापुर (सरगुजा).	उप संचालक (रेशम) कार्यालय-जिला रेशम कार्यालय. जगदलपुर.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेश का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2005

क्रमांक 1968/565/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (2) के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रतनपुर, निवेश क्षेत्र जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4195/बत्तीस/78 भोपाल दिनांक 3-11-1978 द्वारा गठित किया गया था. जिसकी सीमाओं में परिवर्तन करती हैं जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं.

अनुसूची

रतनपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम चपोरा एवं खैरा, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम खैरा, पोड़ी, घासीपुर, लालपुर, रतनपुर एवं रानीगांव, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम रतनपुर, रानीगांव एवं मखैयाडीह, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम मखैयाडीह कलमीटार, सिलदवा, भैंसाझार, रतनपुर पोडी एवं चपोरा, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2005

क्रमांक एफ-9-16/दो/गृह/2005.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र ''कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
1.	श्री एम. एस. ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्च स्तर
2.	श्री आर. एस. सोनकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्न स्तर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2005

क्रमांक एफ-9-22/दो/गृह/05.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी 2005 को प्रश्नपत्र "समाज शास्त्र" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
1.	श्री देवसर दास मण्डले	विकासखण्ड अधिकारी	उच्च स्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2005

क्रमांक 5590/डी-1495/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 373/दो-2-1/05/गोपनीय/2005 दिनांक 27-6-2005 के अनुपालन में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री गुलाम मिन्हाजुद्दीन, की सेवायें राज्यपाल सचिवालय में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक 5426/डी-2192/21-ब/04 दिनांक 8-9-2004 द्वारा छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर को सौंपी गई थी, की सेवायें सामान्य प्रशासन विभाग से वापस लेते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर को एतद्द्वारा वापस की जाती है.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2005

क्रमांक 5592/डी-1495/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 373/दो-2-1/05/गोपनीय/2005 दिनांक 27-6-2005 के अनुपालन में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री इन्दर सिंह उबोवेजा, को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में सदस्य सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक 3958/डी-1183/21-ब/छ.ग./04 दिनांक 28-6-2004 द्वारा की गयी थी, की सेवायें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को एतद्द्वारा वापस सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2005

फा. क्रमांक 5694/21-ब/छ.ग./05.—छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम क्रमांक 29) की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता श्री एल. पी. खरे को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का तकनीकी सदस्य नियुक्त करता है.

Raipur, the 8th July 2005

F. No. 5694/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 4 of the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (Act No. 23 of 1983), the State Government hereby appoint Shri L. P. Khare, Retd. Engineer-in-Chief as the Technical Member of the Chhattisgarh Arbitration Tribunal from the date he assumes charge of the office for a period of three years or until he attains the age of 65 years whichever is earlier.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 8-3/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस्पात गोदावरी लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर के बायलर क्रमांक सी.जी./33 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 1-7-2005 से दिनांक 31-7-2005 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ वायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखो, अवर सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2005

विषय : कृषि संचालनालय का सेटअप स्वीकृत करते बाबत

क्रमांक /2058/बी-6/45/02/14-2.—राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विभाग के ज्ञापन क्रमांक/2395/बी-6/45/02/14-2, रायपुर दिनांक 1-1-2001 द्वारा जारी संचालनालय कृषि के सेटअप के क्रमांक 1, 7, 23 एवं 24 के सम्मुख दर्शाये पदों के रिमार्क कालम में अंकित टीप में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

क्र.	दिनांक 1-1-2001 में दर्शाया गया क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रुपये में)	संख्या	पत्र क्र.-2395 दि. 1-1-2001 के रिमार्क कालम में अंकित टीप	रिमार्क कालम हेतु संशोधित टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	संचालक कृषि	18400-22400	1	प्रतिनियुक्ति से	प्रतिनियुक्ति IAS/पदोन्नति.
2.	7	मानचित्रकार	5000-8000	1	प्रतिनियुक्ति से	सीधी भर्ती/ पदोन्नति.
3.	23	उप संचालक (सांख्यिकी)	10000-15200	1	प्रतिनियुक्ति से	पदोन्नति
4.	24	सहायक संचालक (सांख्यिकी)	8000-13500	1	प्रतिनियुक्ति से	पदोन्नति

2. विभाग के उपरोक्त ज्ञापन में अनुक्रमांक-9 पर दर्शित अपर संचालक उद्यान, वेतनमान 14300-18300 का एक पद स्वीकृत है. राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अपर संचालक, उद्यान, का पदनाम परिवर्तित कर संचालक उद्यान, वेतनमान 14300-18300 किया जाता है. यह पद पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति से भरा जावेगा.

3. उपरोक्त संशोधन पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 10 फरवरी 2005

रा. प्र. क्र./31/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है तथा विभाग ने उक्त भूमि का आधिपत्य भी नहीं लिया है. अत: भू-अर्जन अधिकारी अम्बिकापुर के न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/02-03 में पारित आवार्ड दिनांक 24-9-2004 में अर्जित भूमि के अर्जन से प्रत्याहरण हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 48 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा प्रत्याहरण हेतु सूचित करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	अम्बिकापुर	बौरीपारा	0.017	सड़क निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 27 जून 2005

क्रमांक 4015/अविअ. भू-अ/16-अ/वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6(1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-महासमुंद
 (ख) तहसील-बसना
 (ग) नगर/ग्राम-पतेरापाली, प. ह. नं. 7
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28	0.80
30	0.53
29	0.39
36	0.30
31	0.23
32	0.60
33	0.41
34/1	0.39
34/2	0.16
35	0.41
37	0.16
40	0.09
38	0.13
39	0.09
41	0.36
42	0.34
44	0.12
45	0.16
52	0.09
48	0.08
53	0.12
50	0.05
54	0.19
60	0.15
61	0.11
63	0.05
योग 26	6.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पलसाभाड़ी जलाशय योजना के डुबान, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 जून 2005

क्रमांक 4015/ अविअ. भू-अ/17-अ/वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-महासमुंद
 (ख) तहसील-बसना
 (ग) नगर/ग्राम-संतपाली, प. ह. नं. 4
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.11
2	1.34
3	0.02
4	0.36
5	0.12
6	0.25
7	0.23

	(1)	(2)
	9	0.05
	10/1	0.02
	10/2	0.02
	15	0.03
	16	0.01
	10/3	0.01
योग	13	2.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पलसा-भाड़ी जलाशय योजना के डुबान, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 जून 2005.

क्रमांक 4015/ अविअ. भू-अ/18-अ/वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-खोंगसा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा. (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	418	0.03
	419	0.10
	420	0.42
	423	0.24
	422	0.78
	421	0.33
	427	0.05
	428	0.31
	429	0.63
	430	0.35
	431/1	0.15
	431/2	0.16
	432	0.92
	435	0.70
	433	0.18
	434	0.41
	436	0.37
योग	15	6.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पलसा-भाड़ी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 जून 2005

क्रमांक 4015/ अविअ. भू-अ/19-अ/वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-बसना
- (ग) नगर/ग्राम-संतपाली, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.09

	(1)	(2)
	16	0.25
	46	0.05
	47	0.03
	68	0.02
	69	0.01
	160	0.34
	165	0.13
योग	8	0.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पलसा-भाड़ी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2005

क्रमांक 11/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-सेखवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.507 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
265/6	0.219
308	0.024
306	0.210
64/2	0.008
63/1	0.089
63/2	0.093
265/9	0.081
9/2, 10/3	0.008
592/1	0.097
88	0.024
5, 6, 39	0.028
613/1	0.097
562/1	0.032
89/2	0.020
9/1	0.016
10/1	0.158
355	0.008
89/1	0.097
602, 603	0.012
351/2	0.242
350	0.008
307, 320	0.239
302/1	0.125
7	0.004
8	0.275
1/5	0.040
62	0.235
564/2, 565/1	0.077
357	0.024
94/1	0.215
305	0.040
1/4	0.283
92/2, 93	0.024
64/1	0.121
1/3	0.069
624	0.004
351/1	0.081
599/2	0.045
260/12	0.008
598/2	0.012

(1)	(2)
606	0.085
611	0.129
612	0.020
265/5	0.069
265/8	0.069
607	0.154
46, 47	0.040
48, 49	0.121
87/2	0.036
61/1	0.040
346, 347	0.291
348, 594	0.016
599/1 क	0.085
599/1 ख	0.170
349	0.121
38/1	0.162
45/2	0.210
58/1	0.081
599/3	0.008
1/2	0.113
563	0.210
593/2	0.109
265/4	0.065
55, 58/2	0.008
38/2, 38/3	0.117
604/4	0.049
256	0.081
259/1	0.085
258	0.109
356	0.235
331/2	0.012
254/6	0.093
259/2	0.065
257	0.089
352	0.121
302/2	0.061
623	0.061
64/3	0.065
265/1	0.336
617	0.024
योग 79	7.507

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवर सोन व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2005

क्रमांक 13/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.809 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
373	0.251
374	0.558
योग 2	0.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मत्स्यबीज उत्पादन केन्द्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 जून 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/4/अ/82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-पवनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.237 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2418/1	0.025
2418/7	0.012
2118/8	0.012
2417/1	0.010
2417/2	0.010
2413/1	0.040
2413/4	0.008
2413/5	0.016
2412	0.024
2410/1	0.024
2127/1	0.058
2127/3	0.041
2127/4	0.050
2127/5	0.045
2410/2	0.023
2410/3	0.016
2409/1	0.038
2203/1	0.122
2203/4	0.070
2202/1	0.030
2201/2	0.021
2201/3	0.021
2200/2	0.056
2200/1	0.008
2198	0.038
2123/1, 2123/2	0.079
2123/3, 2123/4	0.047
2123/5	0.046
2119/4	0.020
2124/1	0.045
2127/2	0.086
349	0.020
2128/1	0.020
2128/2	0.009
2128/3	0.027
348/1	0.012
346/2	0.028
348/2	0.016
346/1	0.060
346/3	0.024
345/3	0.036
345/4	0.045
344/1	0.035
338	0.064
337/1	0.041
325	0.045
336	0.075
324	0.017
323/1	0.027
323/2	0.020
322/4	0.020
322/3	0.077
322/2	0.049
2150/1	0.004
321	0.024
296	0.052
398/1	0.029
320/1	0.035
320/2	0.024
2125/1	0.026
2125/2	0.004
2125/3	0.008
2116/1	0.020

	(1)	(2)
	2116/2	0.021
	295	0.021
	297/2	0.013
	2116/3	0.048
योग	67	2.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लोवर सोनिया जलाशय के अंतर्गत पवनी मायनर नं. 3 निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक 869/प्रस्तुतकार-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-कोकड़ी, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.62 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	42	0.10
	439/2	0.19
	451	0.04
	443	0.08
	442	0.04
	441	0.12
	436	0.06
	630/1	0.16
	17/28	0.20
	40	0.16
	43	0.78
	448	0.08
	450	0.06
	439/1	0.19
	438	0.06
	426	0.10
	630/2	0.07
	437	0.13
योग		2.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोकड़ी जलाशय हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक 872/प्रस्तुतकार-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-कोकड़ी, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37	0.01
35	0.06
23	0.26
36	0.09
34	0.11
22	0.09
योग	0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोकड़ी जलाशय के उलट हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 जून 2005

क्रमांक 875/प्रस्तुतकार-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-करहीडीह, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.141 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
283	0.141
योग	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ नदी सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जुलाई 2005

क्रमांक 998/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया ज़ाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरझापुर, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
490	0.15
474/1	0.10
474/2	0.09
474/3	0.09
411	0.07
412	0.06
415/1	0.03
415/2	0.02
416/1	0.06
386	0.13
418	0.11
420	0.17
356	0.14
354	0.06
337	0.08
339	0.06
321	0.04
322	0.06
288	0.04
289/7	0.03
289/16	0.03
293	0.10
305	0.10

(1)	(2)
273	0.12
269	0.12
147	0.02
148	0.02
132	0.28
131	0.40
128	0.03
863	0.50
912	0.16
925	0.45
307	0.11
297	0.10
916	0.25
915/2	0.45
449/1, 449/2	0.40
429	0.60
योग 40	5.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अकोली जलाशय की शाखा नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर—492 001 (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2005

क्रमांक 10/सीएसईआरसी/विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 42 की उपधारा 5, 6, 7 सहपठित धारा 181 की उप धारा 2, (आर) एवं (एस) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम-2004, बनाया है जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 15 फरवरी 2005 को प्रकाशित किया गया है.

इसी बीच केन्द्र शासन के ऊर्जा मंत्रालय ने अपने अधिसूचना क्र. जी.एस.आर. 379 (ई) दिनांक 8 जून 2005 द्वारा विद्युत नियम, 2005 अधिसूचित किया है जिसका नियम 7 उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं लोकपाल से संबंधित है. केन्द्र शासन द्वारा बनाये गये नियमों के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा बनाये गये उपरोक्त विनियम का संशोधन आवश्यक हो गया है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग उपरोक्त विनियम के कण्डिका 74 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम-2004 में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

(i) इस विनियम को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2005 कहा जावेगा.

(ii) यह विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगा.

2. **परिभाषा :**

(ए) "मूल विनियम" का तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम-2004 है.

(बी) यहां इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो कि मूल विनियम में है.

3. **विनियम 14 का संशोधन :**

मूल विनियम का विनियम 14, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"फोरम में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किये गये दो सदस्य होंगे जो कि अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी होंगे जिनमें पुनर्नियुक्त अधिकारी भी हो सकते हैं. फोरम की संरचना निम्नानुसार होगी :—

(ए) अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी जो अधीक्षण अभियंता से कम स्तर का न हो और विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक हो एवं जिसे अधीक्षण अभियंता या उससे उच्च पद पर विद्युत वितरण के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम बीस वर्ष का अनुभव हो.

(बी) अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी जो संयुक्त निदेशक, वित्त/लेखा या वरिष्ठ लेखाधिकारी से कम स्तर का न हो और जिसे कम से कम दस वर्ष का वित्त के क्षेत्र में वित्त/लेखा प्रभाग में कार्य करने का अनुभव हो एवं संयुक्त निदेशक, वित्त/लेखा या वरिष्ठ लेखाधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ पद पर कम से कम पांच वर्ष कार्य किया हो.

उपरोक्त (ए) का सदस्य फोरम का अध्यक्ष होगा."

4. **विनियम 52 का संशोधन :**

मूल विनियम का विनियम 52, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"विद्युत लोकपाल इस संबंध में उपभोक्ता की शिकायतों का निपटारा करने के पूर्व अधिनियम के उपबंधों, इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों अथवा राज्य सरकार या आयोग द्वारा दिये गये सामान्य आदेशों अथवा निर्देशों पर विचार करेगा."

5. **विनियम 76 का संशोधन :**

अनुज्ञप्तिधारी और आयोग को रिपोर्ट शीर्षक एवं मूल विनियम का विनियम 76 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"76 लोकपाल का प्रतिवेदन :

(ए) विद्युत लोकपाल अपने द्वारा निपटाये जाने वाली उपभोक्ता की शिकायतों की प्रकृति, शिकायतों के निवारण में लाईसेंसधारी के प्रत्युत्तर और पिछले छ: महीनों के दौरान अधिनियम की धारा 57 के अधीन आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट कार्य निष्पादन के मानकों का, लाईसेंसधारी की अनुपालन पर लोकपाल की राय का ब्यौरा देते हुए छ:माही आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगा.

(बी) उपरोक्त विनियम 76 (ए) के अधीन रिपोर्ट छ: महीने की संगत अवधि की समाप्ति के बाद 45 दिनों के भीतर आयोग और राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी.''

आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(अजय श्रीवास्तव)
उप-सचिव.

Raipur, the 5th July 2005

No. 10/CSERC/2005.—In exercise of the powers vested under clause (r) and (s) of sub-section 2 of Section 181 read with sub-section (5), (6) and (7) of Section 42 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission has made the "CSERC (Redressal of Grievances of Consumers and Establishment of Forum and Electricity Ombudsman) Regulations-2004" which was notified in Chhattisgarh Rajpatra on 15th February 2005.

In the meantime, the Central Government in the Ministry of Power vide notification No. GSR 379 (E) dated the 8th June 2005 have made the Electricity Rules, 2005 in which rule 7 deals with the consumer grievance redressal forum and ombudsman. Amendments of the above regulations have, therefore, become necessary to bring them in line with the Central Government Rules. The CSERC in exercise of the powers vested in it under regulation 74 of the aforesaid Regulations, therefore, makes the following regulations to amend the CSERC (Redressal of Grievance of Consumers and Establishment of Forum and Electricity Ombudsman) Regulations, 2004, namely :—

1. Short title and commencement :

(i) These Regulations may be called the CSERC (Redressal of Grievances of Consumers and Establish ment of Forum and Electricity Ombudsman) (First amendment) Regulations-2005.

(ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Chhattisgarh Rajpatra.

2. Definitions :

(a) "Principal Regulations" means the CSERC (Redressal of Grievances of Consumers and Establishment of Forum and Electricity Ombudsman) Regulations-2004.

(b) All other words and expressions used in these Regulations but not defined shall have the same meaning as in the Principal Regulations.

3. Amendment of Regulation-14

Regulation 14 of the Principal Regulations shall be substituted by the following :—

"The forum shall consist of two full time members to be appointed by the licensee, who shall be officers of the licensee and may include officers on re-employment. The composition of the fourm shall be the following :

(a) An officer not below the rank of Superintending Engineer, who possesses a degree in Electrical Engineering and has 20 years of experience in the distribution of electricity having served as a Superintending Engineer or on a higher post.

(b) An officer not below the rank of Joint Director (Finance/Accounts) or Senior Accounts Officer, who has at least 10 years experience in Finance/Accounts in the electricity sector having served on an appointment not below the rank of Joint Director (Finance/Accounts) or Senior Acoounts Officer or any other senior position for at least 5 years.

The member at (a) above shall act as the Chairman of the Forum."

4. Amendment of Regulation-52

Regulation 52 of the Principal Regulations shall be substituted by the following :

"The Ombudsman shall consider the representations of the consumers consistent with the provisions of the Act, the Rules and Regulations made hereunder or general orders or directions given by the appropriate Government or the appropriate Commission in this regard before setting their grievances."

5. Amendment of Regulation-76

Regulation 76 of the Principal Regulations and its heading "Report to the Licensee and Commission" shall be substituted by the following :—

"76. Report of the Ombudsman

(a) The Ombudsman shall prepare a report on six monthly basis giving details of the nature of the grievances of the consumbers dealt by him, the response of the Licensees in the redressal of the grievances and the opinion of the Ombudsman about the Licensee's compliance or the standards or performance as specified by the Commission under Section 57 of the Act, during the preceding six months.

(b) The report under regulation 76 (a) above shall be forwarded to the CSERC and the State Government within 45 days after the end of the relevant period of six months."

By Order of the Commission

Sd/-
(Ajay Srivastava)
Deputy Secretary.

कार्यालय, कलेक्टर, (खनिज शाखा) रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 27 जून 2005

क्रमांक क/ख.लि./खुघो/2005.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक

विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम (1)	प.ह.नं. (2)	तहसील (3)	ख.नं. (4)	रकबा (5)	अन्य विवरण (6)
बुड़ेरा	39	तिल्दा	419/6	2.00 एकड़ शासकीय भूमि	श्री मोहन लाल पटेल आ. श्री मतरू लाल पटेल के पक्ष में चूनापत्थर खनिज का उत्खनिपट्टा ग्राम बुड़ेरा खसरा नं. 419/6 रकबा 2.00 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 3-4-2000 से 2-4-2005 तक की अवधि के लिए स्वीकृत था. लीज अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप खदान रिक्त है.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर.